भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JU[illegible]

भारत

रु.

25

पच्चीस

[illegible]000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 292563

2015

ॐ

विक्रय पत्र कृषि भूमि

1.	विक्रय मूल्य	–34,00,000/–
2	मालियत	–34,00,000/–
3.	स्टाम्प	–2,38,000/–
4.	परगना	–बिजनौर कोड नं0 101
5.	मौजा/ग्राम	–फरीदपुर काजी बा0च0रो0 बा0न0पा0 कोड 1595
6.	क्षेत्र	–अर्द्धनगरीय
7.	रकबा	–0.590 है0
8.	सर्किल रेट	–70,00,000 व 50,00,000/– है0
	प्रारूप–04	पृष्ठ–67 क्रम संख्या 45 क्रमांक 08 व 10

9. विक्रेता अनुसूचित जाति से नही हैं

10. विशेष विवरण–विक्रीत आराजी में 0.205 है0 आराजी बिजनौर--बैराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है तथा 0.385 है0 आराजी किसी राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जनपदीय लिंक मार्ग नही है। विक्रीत आराजी की 200 मीटर त्रिज्या मे कृषि के अलावा अन्य गतिविधियां नही है। विक्रीत आराजी में कोई बोरवेल/कुआ, भवन नही है बल्कि 100 पेड़ पापुलर के 10–20 सेमी0 व्यास के खडें है जिनकी कीमत 200 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से उक्त मालियत मे शामिल है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 293562

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बिजनौर
7 JUL 2015
वरिष्ठ कोषाधिकारी

(2)

चौहद्दीः—

पूरब में—सड़क बिजनौर—बैराज मार्ग

पश्चिम मे—कृषि भूमि मुकीम अहमद आदि

उत्तर मे—कृषि भूमि यशवर्धन सिंह आदि

दक्षिण में—कृषि भूमि नसीम अहमद आदि

कुसुम शर्मा

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 293561

27 JUL 2015

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (एक)
विक्रेता का विवरण
श्रीमति कुसुम शर्मा
पत्नी श्री हरीश कुमार शर्मा
निवासी गंगा भवन, गुरूद्वारा रोड
नई वस्ती बिजनौर परगना बिजनौर
तहसील व जिला बिजनौर
आई0डी0–वोटर कार्ड
संख्या–
पैन नम्बर–BBOTS5688E
मो0नं0–9411950775

द्वितीय पक्ष की संख्या (एक)
क्रेता का विवरण
पंकज मित्तल
पुत्र श्री सोहनलाल मित्तल
निवासी सिविल लाईन, रूड़की
थाना रूड़की जिला हरिद्वार
आई0डी0–वोटर कार्ड
संख्या–UP/85/420/177266
पैन नम्बर–AAVPM3960E
मो0नं0– 9012803695

कुसुम शर्मा

INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 293560

27 JUL 2015

(4)

मै कि श्रीमति कुसुम शर्मा पत्नी श्री हरीश कुमार शर्मा निवासी गंगा भवन, गुरूद्वारा रोड नई बस्ती बिजनौर परगना बिजनौर तहसील व जिला बिजनौर की हूं। प्रथम पक्ष / विक्रेता।

जो कि आराजी भूमिधरी रकबई 2.082 है0 (दो दशमलव शून्य आठ दो है0) खसरा नम्बरान निम्नलिखित स्थित मौजा फरीदपुर काजी बाहर चक्कर रोड व बाहर सीमा नगर पालिका परगना बिजनौर तहसील व जिला बिजनौर में प्रथम पक्ष / विक्रेता बकदर भाग 0.590 है0 की बजरिये बैनामा

कुसुम शर्मा

भारत
INDIA
सत्यमेव जयते
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
प्रदेश UTTAR PRADESH
E 293559

दिनांक 13.04.2011 दस्तावेज संख्या 4183/2011 के द्वारा पूर्ण स्वामी एवं अधिकारी और काबिज है तथा विक्रेता ने अपनी कुल आराजी को विक्रय किया है अब विक्रेता का कोई अंश उक्त खसरा नम्बर मे शेष नही रहा है विक्रेता/प्रथम पक्ष को कृषि भूमि उक्त को बेचने एवं परिवर्तन करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। कीमत भी खरीदार से मुनासिब मिल रही है लिहाजा अब बहालत स्वस्थ चित शरीर स्थिर बुद्धि व खुशी खातिर अपनी बिना बहकाएं व सिखाये किसी दीगर सख्श के अपनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 293558

7 JUL 2015

(6)

खुशी व रजामन्दी से भली प्रकार सोच व विचार कर अपनी कृषि भूमि उक्त को बिला रखे उसमें से किसी भी अंश व अधिकार के कृषि भूमि उक्त 0.590 है0 **मय** पेड़ों के **बिलएवज मुबलिग 34,00,000/– चौंतीस लाख रूपये** कि आधे जिसके **17,00,000/– सत्रह लाख रूपये** होते है बदस्त बहक **पंकज मित्तल** पुत्र श्री **सोहनलाल मित्तल** निवासी सिविल लाईन, रूड़की थाना रूड़की जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष/क्रेता को बेच दी और कुल कीमत बजरिये ड्राफ्ट संख्या

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

देश UTTAR PRADESH

E 293557

(2015

(7)

028224 दिनांक 24.07.2015 पंजाब नेशनल बैंक शाखा आई0आई0टी0-कैम्पस रूड़की, हरिद्वार बवक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर विक्रीत कृषि भूमि पर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रेता ने अपना मौके से हटाकर वाकई कब्जा व दखल कृषि भूमि उपरोक्त पर अपने समान क्रेता का करा दिया है तथा अब बेची हुई कृषि भूमि उक्त में कोई हक व हिस्सा विक्रेता या वारिसान विक्रेता का शेष नही रहा और

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

E 293556

JUL 2015

(8)

न आईन्दा होगा। अब क्रेता को हक है कि वह कागजात सरकारी में अपना नाम मेरे नाम के बजाये दर्ज करा लें। जिससे विक्रेता अथवा वारिसान विक्रेता को कोई मौका आपत्ति करने का न होगा। कानूनन इस बैनामें की कुल जिम्मेंदारी व जवाब देही व देनदारी विक्रेता व वारिसान विक्रेता की होगी। यदि विक्रीत कृषि भूमि का कुल या जुज कब्जे खरीदार से निकल जावे या उसे अन्य किसी प्रकार का

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

337094

27 JUL 2015

नुकसान भरना पड़े तो ऐसी दशा मे क्रेता को हक होगा कि वह अपना कुल नुकसान मय हर्जे व खर्चे के विक्रेता या वारिसान विक्रेता या उसकी दीगर सम्पत्ति से बजरिये अदालत वसूल कर ले। जिससे विक्रेता व वारिसान विक्रंता को कोई आपत्ति किसी किस्म की न होगी। उक्त आराजी वक्फ, शत्रु, चर्च, नजूल आदि की

अनुप शर्मा

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

भारत INDIA सत्यमेव जयते

प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 280737

UL 2015

(10)

भूमि नही है। विक्रीत आराजी विक्रेता ने बजरिये बैनामा दिनांक 13.04.2011 जिल्द संख्या 5610 के दस्तावेज संख्या 4183 द्वारा क्रय की थीं विक्रेता ने उक्त

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 280736

य वरिष्ठ कोषाधिकारी
बिजनौर
0. JUL 2015
वरिष्ठ
कोषाधिकारी

(11)

आराजी जिन अधिकारों के साथ क्रय की थी उन्ही समस्त अधिकारों के साथ उक्त आराजी को विक्रय किया है। इस लेख पत्र में ऐसे सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

देश UTTAR PRADESH

BB 283106

L 201

(12)

सत्यता पूर्वक अंकित की गयी है जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती है। विक्रीत आराजी हर प्रकार के भार एवं ऋण आदि से मुक्त है तथा विक्रीत आराजी पर कोई भी ऋण किसी संस्था का नही है तथा विक्रीत आराजी ग्राम समाज एवं पट्टे की भूमि नही है कुल क्षेत्रफल 2.082 है0 में विक्रेता का बकदर भाग 0.590 है0 बजानिब दक्षिण का है तथा विक्रेता/प्रथम पक्ष ने अपने हिस्से की कुल आराजी बजानिब दक्षिण को विक्रय किया है तथा विक्रेता का कोई अंश उक्त नम्बरान व खाते मे शेष नही रहा है।

अरुण शर्मा

INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 283105

JUL 2015

तफसील नम्बरान आराजी जिसमें विक्रेता का बकदर भाग 0.590 है0 तथा विक्रेता ने अपने कुल हिस्से को विक्रय किया है जो जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या 470 की भूमि है मौजा उक्त चकबन्दी मे है यदि दरमियान चकबन्दी खसरा नम्बरान या रकबा परिवर्तित होगा तो बैनामा भी परिवर्तित खसरा नम्बरान व रकबे का मान्य होगा।

खसरा नम्बर	रकबा
253/3	0.003 है0
258/1	0.003 है0
258/2	0.063 है0 ✓

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 283086

2 3 JUL 2015

(14)

259/1	0.050 है0
259/2	0.080 है0
260/1	0.054 है0
260/2	0.110 है0
261/1	0.029 है0
261/2	0.113 है0
261/3	0.057 है0
262/1	0.046 है0
262/2	0.012 है0
263/1	0.165 है0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 103235

23 JUL 2015

(15)

263/2		0.196 है0
264/1	सड़क	0.306 है0
265/1	सड़क	0.120 है0
265/2	सड़क	0.250 है0
266		0.126 है0
267		0.075 है0
268		0.143 है0
271/1		0.032 है0
620/1	सड़क	0.018 है0
629/01		0.030 है0
892/1	सड़क	0.031 है0

कुल 23 खेत कुल रकबा 2.082 है0 स्थित ग्राम फरीदपुर काजी बाहर चक्कर रोड परगना व तहसील व जिला बिजनौर में विक्रेता का बकदर भाग 0.590 है0 तथा विक्रेता ने अपने कुल हिस्से को विक्रय किया है तथा विक्रेता का कोई अंश उक्त खसरा नम्बरान व खाते मे शेष नही रहा हैं।

अनूप शर्मा

(29)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 103234

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बिजनौर
3 JUL 2015
वरिष्ठ कोषाधिकारी

(16)

फोटो विक्रीत कृषि भूमि

स्थित ग्राम फरीदपुर काजी बाहर चक्कर रोड परगना व तहसील व जिला बिजनौर

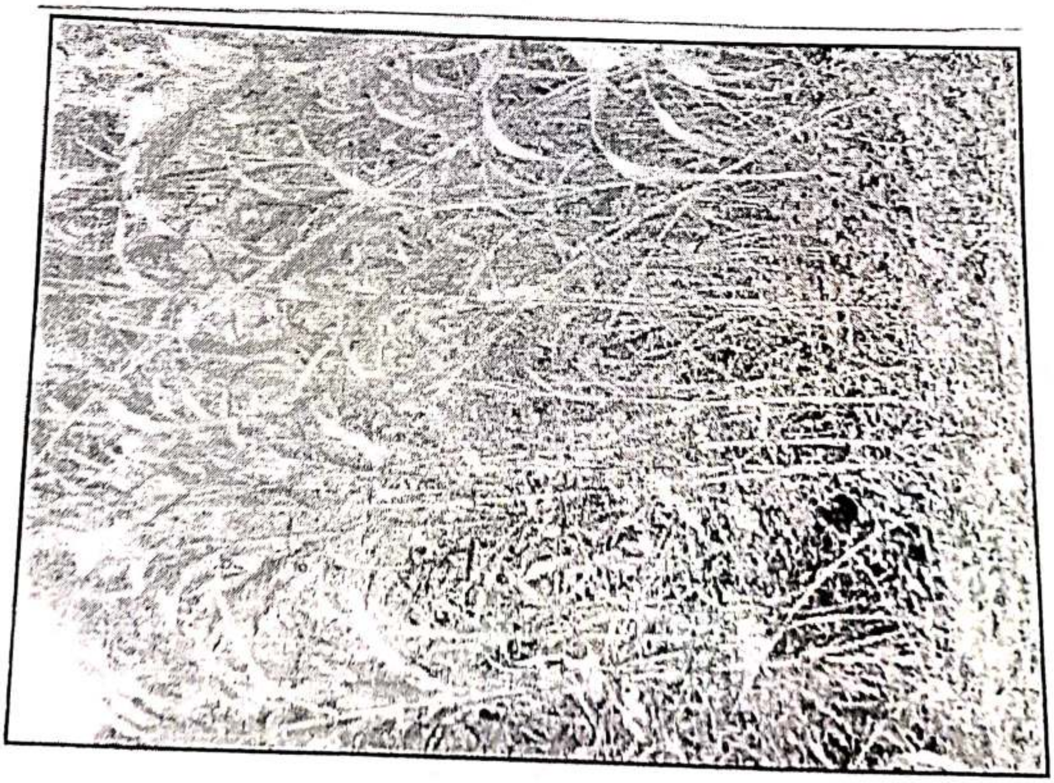

न्यायालय श्रीमा[illegible] /सहायक चकबन्दी
[illegible] र

मु० नं०

पंकज मित्तल बनाम कुसुम शर्मा

धारा दाखिल खारिज

मौजा [illegible]

परगना बिजनौर

बयान हल्फी मिनजानिब कुसुम शर्मा पुत्र/पत्नि हरीश कुमार शर्मा

निवासी नई बस्ती बिजनौर

१- यह कि मैं बहल्फ बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पति/मेरी बीबी व नाबालिग बच्चों के पास आराजी दाखिल खारिज तलब को मिलाकर/बेचकर उ०प्र० में 7.56 से ज्यादा आराजी नहीं है।

२- यह कि मैं बहल्फ बयान करता हूँ/करती हूँ कि मजबून बयान हल्फी नं० १ वइल्म वकील मेरे सच है। कोई बात छिपाई नहीं गई है। ईश्वर/खुदा मेरी मदद करे।

कुसुम शर्मा

कुसुम शर्मा

ग० शा०

27/7/15

[illegible] identified by [illegible] who [illegible] states that [illegible] the contents of the affidavit [illegible] and explained [illegible] Rs. [illegible] been paid to me as fee. 2

27/7/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 103233

23 JUL 2015

(18)

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।
इस लेखपत्र का निष्पादन दिनांक 27.07.2015 को हुआ।

गवाह नं0 1–दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री वासुदेव निवासी 267, गोविन्दपुरी हरिद्वार।

गवाह नं0 2–विवेक भारद्वाज पुत्र श्री हरीश कुमार शर्मा निवासी गंगा भवन गुरुद्वारा रोड नई बस्ती बिजनौर नगर व जिला बिजनौर।

आज दिनांक 27.07.2015 ई0 को संजीव कुमार अग्रवाल एड0 रजि0 संख्या 5246/09 कचहरी बिजनौर के बोलने पर टाईप किया गया।

SANJEEV KUMAR
ADVOCATE

[illegible] 27/07/2015 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 7974

[illegible] 27 [illegible] 62 [illegible] 10029

[illegible]

[illegible]

उप निबन्धक (सदर)
बिजनौर
[illegible]

वाद संख्या– टी 201613160115 74
मौजा–फरीदपुर काजी
पंकज मित्तल

न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

धारा–80उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006
परगना–बिजनौर

बनाम

सरकार उ0प्र0

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी पंकज मित्तल पुत्र श्री सोहन लाल मित्तल निवासी सिविल लाईन्स रूडकी जिला हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 143ज0वि0 अब धारा–80उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 दिनांक 26–10–2015 के आधार पर न्यायालय में प्रारम्भ हुई। प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी प्रकियाए प्रचलित होने के कारण प्रार्थना पत्र की जॉच चकबन्दी अधिकारी हल्दौर जिला बिजनौर से कराई गई। जांच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

चकबन्दी अधिकारी हल्दौर जिला, बिजनौर की आख्या दिनांक 17–05–2016 में उल्लेख किया गया है कि मौजा फरीदपुर काजी परगना व तहसील बिजनौर केसी0एच0–23 चक सं0 470 खसरा न0 253/1 रकबई 0.002, है0258/1 रकबा 0002,258/2 रकबा 0022हे0, 259/1 रकबा 0.050हे0, 259/2 रकबा 0.080हे0,260/1 रकबा 0.054हे0,260/2 रकबा 0.110हे, 261/1 रकबा 0.029हे0, 261/2 रकबा 0.113हे0, 261/3 रकबा 0.057हे0,262/1 रकबा 0. 046हे0, 262/2 रकबा 0.012हे0,263/1 रकबा 0.165हे0,263/2 रकबा 0.196हे0, 264/1 रकबा 0.306हे0,265/1 रकबा 0.120हे0, 265/2 रकबा 0.250हे0, 266 रकबा 0.126हे0,267 रकबा 0. 075हे0, 268 रकबा 0.143हे0, 271 रकबा 0.032हे0,620/1 रकबा 0.018हे0, 892/1 रकबा 0. 031हे0,629/1 रकबा 0.030हे0कुल 24 किला कुल रकबई 2–069हे0 लगान 32–29पैसे, पर खातेदार यशवर्धन सिंह, जयवर्धन सिंह पुत्रगण ठा0 जसवन्त सिंह निवासीगण सिविल लाईन बिजनौर, पंकज मित्तल पुत्र सोहनलाल मित्तल निवासी सिविल लाईन रूडकी थाना रूडकी जिला हरिद्वार, श्रीमति तबस्सुम पत्नि रजीउल हसन नि0 मौ0 जुलाहान का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तथा जैड0ए0 की धारा 132 से आच्छादित नहीं है आवेदक द्वारा उक्त भूमि मे से 0.590हे0 लगान 9.20पैसे को व्यवसायिक कार्य के लिए अकृषिक भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की है। प्रश्नगत भूमि में मौके पर कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन व बागवानी का कार्य नहीं किया जा रहा है ।भूमि मौके पर खाली है मौका स्थान पर उची–उंची दीवारे बनाकर निमार्ण कार्य चल रहा है प्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर ऐसा कोई निमार्ण कार्य नहीं कर रहा है जिससे सार्वजनिक न्यूसैन्स या सार्वजनिक व्यवस्था,सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना है।ब0अ0च0 अपील/ पार्थना पत्र सं001/30–3–16 धारा –5ग में आदेश हुआ कि ग्राम फरीदपुर काजी में चक संख्या 470 के गाटा –4 संख्या–253/1/ 0.002 आदि कुल 24 किता/2.069हे0 में से 0.590हे0 भूमि में से सडक किनारे 300 वर्गमीटर भूमि पर आबादी बनाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी है कि वह 90 दिन के अन्दर आबादी निमार्ण करले अन्यथा यह अनुमति स्वतः निष्प्रभावी होगी तथा यदि प्रश्नगत चक सं0 470 पर किसी अपर न्यायालय या मा0 उच्च न्यायालय का आदेश विद्दमान हुआ तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा।

आवेदक के बैनामा संख्या 10029 दिनांक 26–06–2015 के अनुसार कुल आराजी0. 590हे0 में से 0.205हे0 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण सर्किल रेट अस्सी लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मूल्यांकन रू0 1640000/– तथा शेष भूमि 0.385हे0 पर सर्किल रेट पचास लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मूल्यांकन 1925000/– अर्थात कुल मूल्यांकन 3565000/–रूपये पर एक प्रतिशत की दर से अकन 35650/–रूपये राजकीय कोष में जमा कराकर मौजा फरीदपुर काजी परगना व तहसील बिजनौर के चक संख्या 470 के खसरा न0 253/1 रकबई 0.002, है0258/1 रकबा 0002,258/2 रकबा 0022हे0, 259/1 रकबा 0.050हे0, 259/2 रकबा 0.080हे0,260/1 रकबा 0.054हे0,260/2 रकबा 0.110हे, 261/1 रकबा 0.029हे0, 261/2 रकबा 0.113हे0, 261/3 रकबा 0.057हे0,262/1 रकबा 0.046हे0, 262/2 रकबा 0.012हे0,263/1 रकबा 0.165हे0,263/2 रकबा 0.196हे0, 264/1 रकबा 0.306हे0,265/1 रकबा 0.120हे0, 265/2 रकबा 0.250हे0, 266 रकबा 0.126हे0,267 रकबा 0.075हे0, 268 रकबा 0.143हे0, 271 रकबा 0.032हे0,620/1 रकबा 0.018हे0, 892/1 रकबा 0.031हे0,629/1 रकबा 0.030हे0कुल 24 किला कुल रकबई 2–069हे0 लगान 32–29पैसे, में से 0590हे0 लगान 9-20पैसे को उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 की धारा 80–1 के अर्न्तगत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रस्तुत की गयीं है।

मैने वादी एवं नामिका अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का भली–भाति अवलोकन किया। वादी का कथन है कि मौके पर उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा । बल्कि प्रश्नगत भूमि मौके पर खाली है उंची–उची दीवारे बनाकर निमार्ण कार्य चल रहा है।आवेदक द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस की सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा स्थल पर तस्दीक की गयी है प्रार्थी द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन में निर्धारित सर्किल रेट का एक प्रतिशत अर्थात अंकन 35650/–/–भी चालान सं07 द्वारा राजकीय कोष में दिनांक 25–5–16 को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है। अतः उक्त भूमि को धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत लगान से मुक्त करते हुये भूमि अकृषिक घोषित किया जाये। नामिका अधिवक्ता को

न्यायालय [illegible] अधिकारी चकबन्दी [illegible]

अपील / प्रार्थना पत्र सं0– ( ) अन्तर्गत धारा–5(ग) [illegible]

ग्राम–फरीदपुर काजी, परगना व तहसील व जिला बिजनौर

पंकज मित्तल बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद पंकज मित्तल पुत्र मोहन लाल मित्तल निवासी–सिविल लाईन्स, रूडकी परगना–रूडकी, जिला–हरिद्वार ने योजित कर मांग की हैं कि ग्राम फरीदपुर काजी के आकार पत्र–23 भाग 1 के चक सं0–470 कुल–24 किता कुल रकबई–2.069 हैं0 मे से 0.590 हैं0 आराजी रजिस्टर्ड बैनामे के द्वारा क्रय की है। जिसका दाखिल खारिज स0च0अ0, सदर के वाद सं0–185 मे पारित आदेश दिनांक–16.09.2015 के द्वारा हो चुका है। प्रार्थी 0.590 हैं0 आराजी का सं0भू0 कृषक है तथा स्थल पर काबिज है। ग्राम–फरीदपुर काजी में चकबन्दी प्रकियाएं विचाराधीन हैं। चक सं0–470 के 0.590 हैं0 की भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य, बागवानी, पशु पालन (मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन) के प्रयोजन मे नही आ रही है। प्रार्थी को अपने प्रयोग के लिए आबादी निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। चक सं0–470 के 0.590 हैं0 रकबे की भूमि आबादी के प्रयोजन के योग्य हैं तथा भविष्य मे इस भूमि का उपयोग उक्त वर्णित किसी कार्य मे किया जाना सम्भव नही है। चक सं0–470 की भूमि के स्वामित्व के सम्बंध मे कोई विवाद किसी भी चकबन्दी न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय मे विचाराधीन नही हैं। चक सं0–470 की भूमि ग्राम समाज व वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नही आती हैं। आवेदक ने चक सं0–470 के गाटा सं0–253/1/0.002, 256/1/0.002, 258/2/0.022, 259/1/0.050, 259/2/0.080, 260/1/0.054,260/2/0.110, 261/1/0.029, 261/2/0.113, 261/3/0.057, 262/1/0.046, 262/2/0.012, 263/1/0.165, 263/2/0.196, 264/1/0.306; 265/1/0.120, 265/2/0.250, 266/0.126, 267/0.075, 268/0.143, 271/0.032, 620/1/0.018, 892/1/0.031, 629/1/0.030 हैं0, कुल–24 किता कुल रकबई–2.069 हैं0 मे से 0.590 हैं0 भूमि में प्रार्थी को आबादी निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये। आवेदक ने अपने कथन के समर्थन मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण में चकबन्दी अधिकारी, हल्दौर से आख्या प्राप्त की गयी। जो पत्रावली में संलग्न है।

मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तर्क पूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध चकबन्दी अधिकारी हल्दौर की आख्या का अवलोकन किया गया। जिससे विदित हुआ कि आवेदक का नाम जो0च0 आकार पत्र–23 भाग–1 के चक सं0–470 में 0.590 हैं0 पर दतौर बैनामा सं0भू0 अंकित है। यह प्रश्नगत भूमि बैराज रोड के समीप स्थित हैं। उक्त चक के पूरब–दक्षिण कोने मे दीवार बनी हैं तथा कुछ भूमि खली पडी है। ग्राम फरीदपुर काजी में कब्जा परिवर्तन हो चुका हैं तथा अंतिम अभिलेख की कार्यवाही चल रही है। इन गाटो पर निर्माण किये जाने से किसी सार्वजनिक उपयोगिता के बाधित होने की संभावना नही है, जिसके दृष्टिगत ग्राम सभा के हितो तथा चकबन्दी प्रकिया पर भी प्रतिकुल प्रभाव पडना संभावित नही है। आवेदक द्वारा जो0 च0 आकार

30/3/16